1. भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास

- 1757 ई॰ की प्लासी की लड़ाई और 1764 ई॰ के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा।
- इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय-समय पर कई ऐक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनें।
- **1773 ई॰ का रेग्यूलेटिंग एक्ट:** इसके अंतर्गत कलकत्ता प्रेसीडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गयी जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के चार सदस्य थे, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं-
  - बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेन्सियों का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया।
  - कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण।
  - कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गयी।
- **1784 ई॰ का पिट्स इंडिया एक्ट:** इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का आरंभ हुआ-
  - **बोर्ड ऑफ कंट्रोलर:** राजनीतिक मामलों के लिए।
  - **कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स:** व्यापारिक मामलों के लिए।
- **1793 ई॰ का चार्टर अधिनियम:** इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियो के वेतनादि को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गयी।
- **1813 ई॰ का चार्टर अधिनियम-**
  - कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया।
  - इसके द्वारा कंपनी के अधिकार-पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।
  - कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया।
  - किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा।
- **1833 ई॰ का चार्टर अधिनियम-**
  - अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया।
  - इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णत: समाप्त कर दिए गए।
  - भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गयी।
  - बगांल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा।
- **1853 ई॰ का चार्टर अधिनियम:** इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गयी।
- **1858 ई॰ का चार्टर अधिनियम :**
  - भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया।
  - भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गयी।
  - भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया।
  - पन्द्रह सदस्यो की भारत-परिषद का सृजन हुआ।
- **1861 ई॰ का भारत शासन अधिनियम :**
  - विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ।
  - गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद् का विस्तार किया गया।
  - गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान-परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गयी।
  - गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गयी।
- **1892 ई॰ का भारत शासन अधिनियम-**
  - इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई।
  - अप्रत्यक्ष चुनाव-प्रणाली की शुरूआत हुई।
- **1909 ई॰ का भारत शासन अधिनियम:** (मार्ले-मिंटो सुधार)
  - प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गयी।

- भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई।
- पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधि त्व का उपबंध किया गया।
- केन्द्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद-विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला।

- **1919 ई॰ का भारत शासन अधिनियमः** (मांटेग्यू चेम्स फोर्ड सुधार)
  - इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था।
  - केन्द्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गयी- प्रथम राज्य परिषद तथा द्वितीय केन्द्रीय विध ानसभा।
  - राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों होता था।
  - प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को दो उपवर्गों में विभाजित किया गया- आरक्षित तथा हस्तांतरित।
  - केन्द्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी, जिनमें 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। दोनों सदनों के अधि कार समान थे।
- **आरक्षित विषयः** वित्त, भूमिकर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, अपराधिक जातियां, छापाखाना, समाचार-पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान, कारखाना, बिजली, गैस, व्यॉलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटरगाड़ियां, छोटे बंदरगााह और सार्वजनिक सेवाएं आदि।
- **हस्तांतरित विषयः** शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता। सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी, उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि।

  आरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था। जबकि हस्तांतरित विषय का प्रशासन प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के द्वारा किया जाता था।
  - इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया।
  - द्वैध शासन प्रणाली को 1935 के एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया।
  - भारत-सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा-परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है।
- **1935 ई. का भारत शासन अधिनियमः** 1935 ई. के अधिनियम में 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं-
- **अखिल भारतीय संघः** यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था, जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों।
- देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा-पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया।
- प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था। किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था।
- **प्रांतीय स्वायत्ताः** इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वंतत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया।

संघीय न्यायालय की व्यवस्था

- इसका अधिकार-क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा दो अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गयी।
- न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल (लंदन) को प्राप्त थी।

केन्द्र में द्वैध शासन की स्थापना

- कुछ संघीय विषयों (सुरक्षा, वैदेशिक संबंध, धार्मिक मामले) को गवर्नर-जनरल के हाथों में सुरक्षित रखा गया। अन्य संघीय विषयों की व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल को सहायता एवं परामर्श देने हेतु मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गयी; जो मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था।

ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता

- इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधि कार ब्रिटिश संसद के पास था।

भारत-परिषद का अंत :

- इस अधिनियम द्वारा भारत-परिषद् का अंत कर दिया गया।

सांप्रदायिक निर्वाचन-पद्धति का विस्तार :

- संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार आंग्ल भारतीयों-भारतीय ईसाइयों, यूरोपियनो और हरिजनों के लिए भी किया गया।
- इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया।
- इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था।
- **1947 ई. का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम:** ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई, 1947 ई. को 'भारतीय स्वतंत्रता अधि नियम' प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई, 1947 ई. को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थीं। इस अधि नियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं-

देशी अधिराज्यों की स्थापना :

- 15 अगस्त, 1947 ई. को भारत एवं पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बना दिए जाएंगे, और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा।
- भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक-एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी।
- संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना :- जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेतीं, तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी।
- भारत-मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे।
- 1935 ई. के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन :- जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता है, तब तक उस समय 1935 ई. के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा।
- देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी।

EduBull.com